



संख्या:47/2026/424/2026/1828514/12-2099/125/2024

प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2026

विषय:-उ०प्र० बीज विकास निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या:यूपीसीड/4511/प्र०नि०का०/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निगम के लाभ में होने के दृष्टिगत निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रदान किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के 03 वर्ष पूर्व के वर्ष तक के लेखे महालेखाकार से ऑडिटेड हो तथा निगम के ए०जी०एम० द्वारा स्वीकार कर लिये गये हों।
2. सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने से पूर्व आप द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उ०प्र० बीज विकास निगम, वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार को वहन करने की स्थिति में है। पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को निगम द्वारा अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई शासकीय अनुदान देय न होगा।
3. उ०प्र० बीज विकास निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से सातवाँ वेतनमान का पुनरीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 1/2017/1415/44-1-2016-53/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 की शर्तें एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त ही अनुमन्य किया जायेगा।
4. उ०प्र० बीज विकास निगमके नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से पूर्व एरियर की मांग नहीं की जायेगी। Arrears के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।
5. महंगाई भत्ता का निर्धारण सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:1090/44-1-2009-2 उवेरि/98 दिनांक 11 सितम्बर, 2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. कृपया उक्त से अवगत होते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: E-1-104-X-2026-27 दिनांक 29.07.2026 द्वारा प्रदान की गयी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या:47/2026/424(1)/2026/1828514/12-2099/125/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
संजीव रंजन
विशेष सचिव।